

7-1-19

पञ्जाबली पेश हुई। वकील गोरेवारी उपर है। वारी
को बार-बार अपमान दिलवाई गई परन्तु
वारी की तरफ से परबी डेल कोई अपमान
नहीं है, न्यायालय का समय समाप्त होने
का है। अतः वारी की अदम दजरी एवं अदम
पैरबी में वारीजों का खर्च खारिज किया
जाया। पञ्जाबली कैसल शमर डीकर
दर नम्बर से कम हो। आदेश रुबले
न्यायालय में सुनाया गया। -।

उप खण्ड अधिकारी
साँमर लेक